न्यायालयः– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना–कुचामन

बउनवान–अब्दुल सलाम व अन्य बनाम सरकार
किस्म– दीवानी मूल प्रकरण नंबर–45/16 कं.न.–194/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15-01-26	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 17 की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति प्रदर्श पेश किया गया जिसके संबंध में बहस गत पेशी पर सुनी गई जिसका एतद्दारा निस्तारण किया जा रहा है। प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र के संबंध में निवेदन किया कि वादीगण की ओर से दिनांक 21.06.1978 के पेश दो दस्तावेजात असल नही है और अपंजीकृत व अमुद्रांकित है जो साक्ष्य में ग्राहय नही है। उक्त दस्तावेजात में से एक दस्तावेजात में इकरारनामा चौधरी मार्बल ट्रेडर्स के भागीदारो द्वारा आपस में लिखा गया है जिसमें फैक्ट्री की जमीन, मशीने, इंजन, केन, ऑफिस व छत का बंटवारा किया गया है तथा दूसरा दस्तावेज भी बंटवारे का है जिसमें खान संख्या 171 भोट वाली व खान संख्या 137 देवी वाली का बंटवारा लिखा गया है जिसके निष्पादन से प्रतिवादीगण ने इंकार किया है। दी इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 35 के तहत अपर्याप्त व अमुद्रांकित दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय नही है। दी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17(1)(बी)(डी) के तहत वादीगण द्वारा प्रस्तुत दोनो दस्तावेजात का पंजीबद्ध होना आवश्यक है लेकिन दोनो दस्तावेजात पंजीबद्ध नही होने के कारण इस अधिनियम की धारा 49 के तहत साक्ष्य में ग्राहय नही है अतः उक्त दोनो दस्तावेजात पर प्रदर्श डालने की अनुमति नही दिये जाने का निवेदन किया। उन्होने अपने समर्थन	

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए जिनमें:– 1- AIR 2013 Allahabad 187 2- AIR 2016 Rajasthan 198 3- AIR 1997 Rajasthan 211 4- 2021(2) RRT 889 5- 2017(1) RRT 25 6- 2013(1) DNJ (Raj.) 431 7- AIR 1951 Rajasthan 66 8- AIR 1962 S.C. 110 9- S.B.C.W.P 5511/21(Jaipur Bench) 10- AIR Online 2021 Tel. 118 11- Sec 2(14),(15) 4 Sec. 35 Stamp Act. 12- Sec. 17(1)(b), Sec 49 Registration Act. उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में अधिवक्ता वादीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 21.06.1978 के दोनो दस्तावेजात पारिवारिक सेटलमेंट है जिसको रजिस्टर्ड व स्टाम्पित करवाने की कानूनन आवश्यकता नही है। उक्त लिखित परिवार के सदस्यो के द्वारा तय किए गए हिस्सो की लिखत है जो उनके मध्य पारिवारिक व्यवस्था की लिखित है जो साक्ष्य में ग्रहय है। चौधरी मार्बल ट्रेडर्स के भागीदारो द्वारा आपस में लिखना प्रतिवादीगण स्वीकार कर रहे है जिससे प्रतिवादीगण को आपत्ति उठाने का अधिकार नही है। खान संख्या 137 शुरू से ही पारिवारिक खान थी। इस खान को पारिवारिक व्यवस्था में वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज अब्दुल हफीज के रखी गई है तथा खान संख्या 171 परिवार के अन्य सदस्यो के रखी गई है। खान संख्या 137 के पारिवारिक सेंटलमेट की लिखत की प्रमाणित प्रति न्यायालय से प्राप्त कर दावे में पेश की है। खान संख्या 137 वादीगण व प्रतिवादीगण के

अपर जिला न्यायाधीश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	हिस्से में रखी गई है व खान पर खनन संयुक्त होता है। पारिवारिक सेंटलमेट के लिए स्टाम्प की कानूनन आवश्यकता नही है जिससे लिखित अपर्याप्त स्टाम्प पर नही है। भाईयो के मध्य बातचीत से तय की गई व्यवस्था की लिखितो को रजिस्टर्ड करवाने की आवश्यकता नही है यह लिखित तो यादाश्त मात्र है जिससे उक्त दोनो दस्तावेजात परिवार के सदस्यो के मध्य होने व स्वीकृत दस्तावेजात होने से साक्ष्य में ग्राहय है अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खारिज किए जाने का निवेदन किया। उन्होने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए जिनमें:– **1-Municipal Council, Bhilwara Vs Balmukand** 2023(3) WLC 152(Raj.) S.B.Civil Writ. Petition No. 4012/2014 Decided on 21-02-2023 **2-Leela Devi Vs Amar Chand** 2023(4) WLC 405(Raj.) S.B.Civil Writ Petition No. 6969/2006 Decided on 02-05-2023 **दिनांक 16.09.2025 का प्रार्थना पत्रः–** प्रतिवादी संख्या 04 ता 17 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के दिनांक 28.08.2025 के प्रार्थना पत्र के संबंध में वादीगण ने दिनांक 11.09.2025 को जवाब पेश कर बताया कि चौधरी मार्बल ट्रेडर्स के भागीदारो द्वारा आपस में लिखना प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है, इस बाबत प्रतिवादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र के जरिए बताया कि प्रतिवादीगण ने उक्त दस्तावेज को कभी भी स्वीकार नही किया है, प्रतिवादीगण ने केवल धारा 17 व 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट के संदर्भ में केवल	

अपर जिला न्यायाधीश
सलूम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्ब... तारी... अहका... इस की ... मे जारी...

तथाकथित दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में लिखा है। वादीगण द्वारा दिनांक 11.09.2025 को पेश जवाब आवेदन पर किसी भी वादी के हस्ताक्षर नही है। वादीगण की ओर से जो तथाकथित प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है वह गलत है, प्रतिलिपि शाखा से मिलीभगत कर फोटोकॉपी को गलत प्रमाणित कराकर पेश किया है क्योकि तथाकथित दस्तावेज का न तो निष्पादन हुआ है और न ही तथाकथित दस्तावेज कही पर असल देखा गया है। वाद संख्या 48/2001 हस्तगत वाद के वादीगण ने ही पेश किया है जिसमें दोनो लिखतो का न तो उल्लेख है और न ही असल पेश है। उक्त दोनो विवादित दस्तावेजात से संबंधित असल दस्तावेजात वाद संख्या 48/2001 में किसी भी पक्षकार ने पेश नही किए तो उसकी प्रमाणित प्रति कैसे जारी की जा सकती है। तथाकथित दूसरा दस्तावेज भी गलत, अवैध व प्रमाणित एवं असल नही होकर फोटोप्रति है जिससे दोनो दस्तावेजात साक्ष्य में ग्राहय नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। जहां तक प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस दिनांक 21.06.1978 के उक्त दोनो दस्तावेजात अपंजीकृत व अमुद्रांकित होने से साक्ष्य में ग्राहय नही होने पर प्रदर्श डाले जाने पर आपत्ति जहिर की जिस संबंध में वादीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि उक्त दिनांकित दोनो दस्तावेजात पारिवारिक सेंटलमेट है जिन्हे रजिस्टर्ड करवाने की कानूनन आवश्यकता नही है इस संबंध में न्यायालय द्वारा उक्त दिनांकित के दोनो दस्तावेजात का अवलोकन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	किया गया जिसमें एक दस्तावेजातः—इकरारनामा चौधरी मार्बल ट्रेडर्स के भागीदारो द्वारा फैक्ट्री की जमीने,मशीने, इंजन, क्रेन, ऑफिस व छत का बंटवारे के संबंध में लिखित है परंतु उक्त दस्तावेज के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त दिनांकित का दस्तावेज फोटोप्रति दस्तावेज है और उक्त फोटोकॉपी दस्तावेज पर प्रदर्श डाला जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है अतः **उक्त दिनांकित 21.06.1978 के फोटोप्रति दस्तावेज पर प्रदर्श डालने की अनुमति नही दी जाती है।**	

इसी प्रकार उक्त दिनांकित 21.06.1978 का अन्य दस्तावेज खान संख्या 171 भोट वाली व खान संख्या 137 देवी वाली खान के बंटवारे के संबंध में लिखा गया पारिवारिक सेंटलमेंट का दस्तावेज है जिसका न्यायालय के द्वारा अवलोकन किया गया जिससे प्रकट है कि उक्त पारिवारिक सेंटलमेंट का दस्तावेज पर्याप्त स्टाम्पित व रजिस्टर्ड नही है और उसमें वर्णित तथ्य खान संख्या 137 व 171 के संबंध में है जो सरकारी सम्पति है।

सम्पति के बंटवारे/कब्जे बाबत निष्पादित दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत न होने पर उक्त दस्तावेज को प्रदर्शित किया जा सकता है या नही इस संबंध में रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प अधिनियम एवं पेश न्यायिक दृष्टांतो का अध्ययन किया गयाः—

धारा 17—दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है—

(1) निम्नलिखित दस्तावेजो की रजिस्ट्री करनी होगी यदि वह सम्पति, जिससे उनका सम्बंध है, ऐसे जिले में स्थित है, जिसमें और यदि वे दस्तावेज उस

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	तारीख या के पश्चात निष्पादित हुई है, जिसको 1864 का अधिनियम संख्या 16 या इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1866(1866 का अधिनियम संख्या 20) या इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1871 (1871 का अधिनियम संख्या 8) या इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1877(1877 का अधिनियम संख्या 3) या यह अधिनियम प्रवर्तन में आया था या आया हुआ है अर्थात– (क) स्थावर सम्पति के दान की लिखत, (ख) अन्य निर्वसीयती लिखत जिनसे यह तात्पर्यित हो या जिनका प्रवर्तन ऐसा हो कि वे स्थावर सम्पति पर या स्थावर सम्पति में एक सौ रूपए या उससे अधिक के मूल्य का कोई अधिकार,हक या हित, चाहे वह निहित, चाहे समाश्रित हो, चाहे वर्तमान में चाहे भविष्य में, सृष्ट, घोषित, समनुदेशित,परिसीमित या निर्वापित करती हो। **न्यायिक दृष्टांतः–** **Sumitra Devi Vs Smt. Lachhma Devi & Anr.** **S.B. Civil Writ Petition No. 10547/18 Decided on 15-05-18** Law of Evidence- Collateral purpose-Meaning of- A purpose is collateral when it is wholly unrelated to the transaction of immovable property mandated u/s 17 r/w. 49 of Registration Act to be registered. **2025(1) DNJ (SC) Page 282** **M.S Ananthamurthy & Anr. Vs J. Manjula Etc.** Civil Appeal No 3266-3267/2025 Decided on 27-02-2025 Registration Act 1908-Sec 17(1)(b)- Compulsory registration of document-If Interest had been transfered by way of a written document, it required compulsorily to be registered.

अपर जिला न्यायाधीश
बकराना, जिला झीझुनू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से मार्गदर्शन प्राप्त किया जिसमें— जिस दस्तावेज के द्वारा अचल सम्पति के संबंध में अधिकार का सृजन होता है वह दस्तावेज पंजीकृत होने के साथ स्टाम्पित होना भी आवश्यक है। अचल सम्पति के अधिकारो बाबत निष्पादित दस्तावेज को सम्पार्श्विक प्रयोजन के लिए भी प्रदर्शित नही कराया जा सकता है चूंकि वादीगण जिस दस्तावेज को प्रदर्शित कराना चाहते है उपरोक्त विवेचन से पेश दस्तावेज खान संख्या 137 व 171 के पारिवारिक सेंटलमेंट के जरिए खान के बंटवारे के संबंध में है। उक्त फैमिली सेंटलमेंट में वाद पत्र में वर्णित विवादित खान के संबंध में हुए बंटवारे बाबत तथ्यो का अंकन है और उक्त दस्तावेज पर्याप्त रूप से स्टाम्पित नही है चूंकि खान एक सरकारी अचल सम्पति है जिसके अधिकार सरकार की अनुमति के विना हस्तान्तरित नही किए जा सकते है। इस संबंध में न्यायालय द्वारा **राजस्थान माईनर मिनरल कन्सेशन रूल्स, 1986** का अध्ययन किया गया जिसमें उक्त तथ्य का वर्णन है कि खनन पट्टे के अंतरण से पूर्व सक्षम अधिकारी से लिखित में अनुमति लिया जाना आवश्यक है लेकिन हस्तगत प्रकरण में पेश फैमिली सेंटलमेंट का अवलोकन करे तो उसमें ऐसे कोई तथ्य का अंकन नही है जिससे प्रतीत होता हो कि पक्षकारान ने किसी सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति ली हो अतः उपरोक्त विवेचन व उक्त तथ्यो तथा परिस्थितियो को देखते हुए तथा वादीगण अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांतो के प्रावधान हस्तगत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रकरण में चस्पा नही होने के कारण वादीगण द्वारा पेश दिनांक 21.06.1978 के खान संख्या 137 व 171 के पारिवारिक सेटलमेंट की प्रमाणित प्रति पर न्यायालय मत में प्रदर्श लगाने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है अतः **उक्त दस्तावेज पर प्रदर्श लगाने की अनुमति नही दी जाती है।** जहां पर प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि वादीगण की ओर से जो तथाकथित प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है, वह प्रतिलिपि शाखा से मिलीभगत कर फोटोकॉपी को गलत प्रमाणित कराकर पेश किया है इस संबंध में वादीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति नकल शाखा से मिलीभगत करके प्राप्त नही की गई है बल्कि हस्तगत प्रकरण के साथ संलग्न पत्रावली में पेश किए गए दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर पेश की गई है इस संबंध में न्यायालय द्वारा संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें वादीगण द्वारा फार्म नंबर 03 दस्तावेजात सूची में भाई बंटवारे के इकरारनामें की नकल का अंकन किया हुआ है लेकिन वह किस दिनांक का है इस बाबत कोई अंकन नही है चूंकि उक्त दस्तावेजात खान के भाई बंटवारे के इकरारनामें के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त दस्तावेजात प्रतिलिपि शाखा के मुख्य प्रतिलिपिक, जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता के कार्यालय द्वारा जारी प्रमाणित प्रति है जिससे उक्त दस्तावेजात फोटोकॉपी को प्रतिलिपि शाखा से

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	मिलीभगत करके प्रमाणित कराया हो, यह तथ्य इस स्टेज पर तय नही किया जा सकता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 22/1/2026 को पेश हो। Asic Choudhary अपर जिला न्यायाधीश कुरुक्षेत्र, जिला कुरुक्षेत्र	